बजट घोषणा वर्ष 2010-11 से विभाग से संबंधित बिन्दुओं की क्रियान्विति की नवीनतम स्थिति दिनांक 18.05.2010

क्र. सं.	पैरा संख्या	बजट घोषणा	क्रियान्विति
1	182	वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग को 60 जीपें, 10 इंटर-सैप्टर एवं 33 ब्रेथ एनेलाईजर्स उपलब्ध कराये जायेंगे, ताकि वाहन चालकों पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा सके।	60 जीपें, 10 इन्टरसेप्टर एवं 33 ब्रेथ एनेलाइजर क्रय करने पर लगभग 623.20 लाख रूपये की राशि व्यय की जावेगी । प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाये गये हैं।
2	283	ऑल इण्डिया परमिट वाले बन्द यात्री वाहनों पर आरोपित कर की अधिकतम सीमा, जो वर्तमान में 25000/- प्रतिमाह है, को बढ़ाकर 35000/- किया जाना प्रस्तावित है।	इस संबंध में अधिसूचना क्रमांक प. 6(179) परि/कर/मु./95/1पी दिनांक 09.03.2010 जारी कर दी गई है।
3	183.3	वाहन एवं वाहन चालकों दोनों की नियमित फिटनेस की जांच भी सुनिश्चित की जायेगी।	मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत परिवहनयान की प्रतिवर्ष फिटनेस जांच का प्रावधान है। वाहनों की हर वर्ष फिटनेंस जांच करने के उपरान्त ही फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किये जाते है। वाहन चालकों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर ही चालक लाइसेंस बनाया तथा नवीनीकरण किया जाने का नियमों में प्रावधान है। प्रावधानों को अधिक प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश जारी कर दिये गये है ।
4	284	विशिष्ट श्रेणी के गैर-परिवहन यान , जिन पर आरोपित एक बारीय कर की वर्तमान दर वाहन/चैसिस लागत का 6 से 10 प्रतिशत है , पर कर की अधिकतम सीमा राशि के प्रतिबंध को हटाया जाना प्रस्तावित है।	इस संबंध में अधिसूचना क्रमांक प. 6(179) परि/कर / मु. / 95/ 1p दिनांक 09.03.2010 जारी कर दी गई है तथा क्रियान्विति प्रारंभ कर दी गई है1
5	325	बजट प्रस्तावों में ऑल इण्डिया परमिट वाले बंद	इस संबंध में अधिसूचना क्रमांक 6(179)

क्र. सं.	पैरा संख्या	बजट घोषणा	क्रियान्विति
		यात्री वाहनों पर आरोपित कर की अधिकतम सीमा को पुनः 25000/- रुपये किया जायेगा।	परि/कर/मु./95/25बी दिनांक 30.03.2010 जारी की जा चुकी है।
6	285	ऐसे दुपहिया वाहन, जिनकी इंजन केपेसिटी 100 सीसी तक है जिनका उपयोग प्रायः मध्यमवर्गीय परिवार एवं आम जनता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों एवं युवा वर्ग द्वारा किया जाता है, पर एकबारीय कर, वाहन लागत का 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 70 प्रतिशत दुपहिया वाहन खरीदने वालों को कर में राहत मिलेगी। 100 सीसी से अधिक इंजन कैपेसिटी के दुपहिया वाहन, जो आम तौर पर सम्पन्न श्रेणी के लोग खरीदते हैं, पर एक बारीय कर 6-7 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।	इस संबंध में अधिसूचना क्रमांक प. 6(179) परि/कर / मु. / 95/ 1p दिनांक 09.03.2010 जारी कर दी गई है तथा क्रियान्विति प्रारंभ कर दी गई है1
7	181	राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में जान गवाने वालों और घायलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार को सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। राज्य में, रोड सेफ्टी काउंसिल का गठन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में सुझाव देने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। समिति द्वारा तीन माह में प्रस्तावित कार्ययोजना राज्य सरकार को सौंपी जायेगी, जिस पर विचार कर सरकार आवश्यक कदम उठायेगी।	समिति की प्रथम बैठक दिनांक 18.03.2010 को आयोजित की गई, आगामी बैठक दिनांक 21.05.2010 को प्रस्तावित है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर रिपोर्ट में प्रस्तावित कार्ययोजना के अनुसार वित्तीय प्रावधान हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाये जायेंगे।

8	286	चार पहिया वाहनों पर आरोपित एकबारीय कर के सरलीकरण के लिए वर्तमान में प्रचलित 6 स्लैब के स्थान पर 4 स्लैब किये जाने प्र स्तावित है। जहां आम आदमी को राहत देने के उद्देश्य से 2.5 लाख रुपये तक की लागत के वाहनो पर एकबारीय कर की दर को वाहन की लागत के 4 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। वहीं तीन higher slabs 2.5-6.00 लाख पर 5 प्रतिशत, 6-10 लाख पर 8 प्रतिशत एवं 10 लाख रुपये से अधिक पर 10 प्रतिशत एक बारीय कर किया जाना प्रस्तावित है।	इस संबंध में अधिसूचना क्रमांक 6 (179)/परि/कर / मु. /1p दिनांक 09.03.2010 जारी की जा चुकी है तथा आदेश की क्रियान्विति प्रारंभ कर दी गई हैं1
9	184.3	निःशुल्क एवं रियायती यात्रा सुविधा के पेटे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्ष 20 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।	वर्ष 2010-11 में निशुल्क एवं रियायती यात्रा सुविधा के पेटे निगम को 10 करोड़ की राशि अग्रिम रूप से प्राप्त हो गई है।
10	184.1	निःशक्तजनों की सभी सात श्रेणियों, अंधता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, कम श्रवण शक्ति, चलन निःशक्ता, मानसिक मंदता एवं मानसिक रुग्णता से ग्रसित व्यक्तियों को निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने की मैं घोषणा करता हूँ।	पुनर्भरण के प्रस्तावों पर वित्त विभाग से चर्चा की जा चुकी है ।
11	184	अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में राज्य के पदक विजेताओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वाहनों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।	पुनर्भरण के प्रस्तावों पर वित्त विभाग से चर्चा की जा चुकी है ।
12	184.2	अंधता, मानसिक मंदता एवं मानसिक रुग्णता से प्रभावित निःशक्त व्यक्तियों के साथ यात्रा करने वाले व्यक्ति को भी रियायती दरों पर यात्रा करने की सुविधा होगी।	पुनर्भरण के प्रस्तावों पर वित्त विभाग से चर्चा की जा चुकी है ।
13	183.1	जयपुर में ड्राईविंग लाइसेंस के आवेदकों की अधिक संख्या देखते हुए एक अतिरिक्त ड्राईविंग ट्रेक का निर्माण कराया जायेगा।	बजट अनुमान एवं नक्शा तैयार कराया जा रहा है जो आयोजन विभाग को बजट आवंटन हेतु भिजवाया जावेगा 1

14	185	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के डिपो सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित करने का निर्णय लिया गया है। अतः प्रतापगढ़, जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, करौली एवं राजसमन्द में नये डिपो स्थापित किये जायेंगे।	5 जिलों में परिवहन निगम के डिपों खोलने के लिए 25 करोड़ रूपये का अनुदान उपलब्ध कराने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये है। प्रतापगढ़, जैसलमेर एवं राजसमंद में उपयुक्त स्थल पर 10 हेक्टेयर भूमि निशुल्क आवंटित कराने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया है।
15	183	अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं वाहन चालक के अकुशल होने एवं लापरवाही अथवा गलती के कारण घटित होती हैं। इनको रोकने के लिए कुशल चालक तैयार करना आवश्यक है। अतः चालक की चालन क्षमता का परीक्षण करने के लिए छः जिला परिवहन कार्यालयों में, जहां ड्राईविंग ट्रेक्स नहीं हैं, इनका निर्माण करवाया जायेगा।	6 जिलों में ड्राइविंग ट्रेक के निर्माण के लिए कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। स्थिति निम्नांनुसार है- 1.गंगानगर – 5 बीघा भूमि आवंटित करने हेतु जिला कलेक्टर के स्तर से कार्यवाही की जा रही है। 2.बून्दी - भूमि पर वन विभाग से विवाद है, अन्यत्र भूमि आवंटित करने हेतु जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। 3.चित्तौड़गढ़ – भूमि पर कोर्ट स्टे हट गया है, अपील उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, निर्णय होना शेष है। जिला कलेक्टर द्वारा अन्यत्र भूमि आवंटित करने की कार्यवाही की जा रही है। 4.उदयपुर -आवंटित भूमि 13 मीटर उची पहाड़ी है। इसके लिए डिजाइन तैयार कराया जा रहा है। 5.कोटपूतली- आवंटित भूमि पर काश्तकार का अवैध कब्जा है, पुलिस सहायता से सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। जिला कलेक्टर जयपुर को पत्र लिखा गया है। 6. अजमेर - कार्य प्रारंभ हो गया। उपरोक्त 6 जिलों में ड्राइविंग ट्रैक निर्माण के लिए 126 लाख रूपये का

			प्रावधान आयोजना मद में किया गया है।
16	183.2	ड्राईविंग लाइसेंस देने की प्रक्रिया को अधिक वस्तुपरक व पारदर्शी बनाने हेतु सभी संभागीय मुख्यालयों पर सिमुलेटर्स स्थापित किये जायेंगे।	मोटर ड्राइवर्स की चालन क्षमता एवं यातायात नियमों की जानकारी का परीक्षण लेने के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर सिमुलेटर उपलब्ध करवाये जायेगे। इस संबंध में दोपहिया वाहनों के लिए 7, चार पहिया हल्के वाहन हेतु 7 तथा भारी वाहनों हेतु 7 सिमुलेटर्स क्रय किये जायेगे। इनके लिए 252 लाख रूपये का प्रावधान करने हेतु प्रस्ताव आयोजना एवं वित्त विभाग को भिजवाये गये है । वित्त विभाग द्वारा पीपीपी मॉडल पर कार्य करवाने के लिए कहा है । परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है एवं संबंधित पक्षों से चर्चा की जा रही है ।